न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सौरभ स्वामी आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 184/2016

1 हरबंशलाल पुत्र मेहर सिंह जाति जाट निवासी 27 एल.एन.पी तहसील व जिला श्री गंगानगर।
2 सरजीत सिंह पुत्र मेहर सिंह जाति जाट निवासी 21 एम.एल. तहसील व जिला श्री गंगानगर।
3 शांति देवी पत्नि हरबंसलाल जाति जाट निवासी 21 एम.एल. तहसील व जिला श्री गंगानगर।
4 मीनाक्षी पत्नि सुरेन्द्र कुमार भांभू जाति जाट निवासी 21 एम.एल. तहसील व जिला श्री गंगानगर।
5 सौरभ पुत्र सुरेन्द्र कुमार भांभू जाति जाट निवासी 21 एम.एल. तहसील व जिला श्री गंगानगर।
6 कलावती पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 21 एम.एल. तहसील व जिला श्री गंगानगर ।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 करनैल सिंह
2 गुरनायब सिंह
3 जरनैल सिंह
} पिसरान गुरदीप सिंह जाति जट सिख निवासीयान 20 एम.एल. (बी) तहसील व जिला श्री गंगानगर।

4 बसंत कौर पत्नि गुरदीप सिंह जाति जट सिख निवासी 20 एम.एल (बी.) तहसील व जिला श्री गंगानगर ।

5 जीत सिंह उर्फ झंडा सिंह
6 महेन्द्र सिंह
} पिसरान खुशाल सिंह जाति जट सिख निवासी 20 एम.एल. (बी) तहसील व जिला श्री गंगानगर ।

7 जगसीर सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जट सिख निवासी 20 एम.एल. (बी) तहसील व जिला श्री गंगानगर ।

8 हरबंस कौर पत्नि महेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 20 एम.एल. (बी) तहसील व जिला श्री गंगानगर ।

9 सुखपाल सिंह
10 गुरमेल सिंह
} पिसरान महेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 20 एम.एल. (बी) तहसील व जिला श्री गंगानगर ।

11 गुरदयाल कौर पत्नि महेन्द्र सिंह
12 जसपाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
13 सुखदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
} जाति जट सिख निवासी आदणीया तहसील तहसील मलोट जिला मुक्तसर।

14 गुरदेव कौर पत्नि इन्द्र सिंह
15 गुरचरण सिंह पुत्र इन्द्र सिंह
16 बलकरण सिंह पुत्र इन्द्र सिंह
} जाति जट सिख निवासीयान 21 एम.एल. तहसील श्री गंगानगर।

17 छिन्द्रपाल कौर
18 वीरपाल कौर
} पुत्रीया इन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 20 एम.एल. (बी) तहसील श्री गंगानगर ।

19 ओमप्रकाश पुत्र लालचंद
20 बंशीलाल पुत्र ओमप्रकाश
21 औंकार सिंह पुत्र सहीराम
} जाति जाट निवासी 21 एम.एल. तहसील व जिला श्री गंगानगर ।

22 तरसेम सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जट सिख निवासी 20 एम.एल. तहसील व जिला श्री गंगानगर।

23 सन्तरो देवी उर्फ सावित्री पत्नि धर्मपाल
24 सरोज पुत्री धर्मपाल
25 राजकुमारी पुत्री धर्मपाल
} जाति जाट निवासी 21 एम.एल. तहसील व जिला श्री गंगानगर।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

26 अनिका पत्नि राजपाल
27 करणवीर पुत्र राजपाल
28 अभिमन्यु पुत्र राजपाल
} जाति जाट निवासी 21 एम.एल. तहसील व जिला श्री गंगानगर

29 जसवीर सिंह पुत्र स्व. सरजीत कौर पत्नि धर्मसिंह
30 जसविन्द्र कौर पुत्री स्व. सरजीत कौर पत्नि धर्मसिंह
31 बलविन्द्र कौर पुत्री स्व. सरजीत कौर पत्नि धर्मसिंह
} जाति जट सिख निवासी आदणियां तहसील मलोट जिला मुक्तसर ।

32 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर।

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 आर.टी.ए. बाबत घोषणा विभाजन एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री सुखदेवसिंह अधिवक्ता — वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 के विरूद्ध एक पक्षीय
3. पैरोकार राज — प्रतिवादी संख्या 32

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 14-2-19

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 31 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि चक 20 एम.एल. (बी) तहसील श्री गंगानगर के खाता संख्या 18/17, मुरब्बा नम्बर 7, 10, 17, 21 की कुल 6.326 हैक्टर तथा खाता संख्या 80/64, मुरब्बा नम्बर 21 की 1.493 हैक्टर तथा खाता संख्या 100/43, मुरब्बा नम्बर 21, 30 की 3.389 हैक्टर, में खातेदारी दर्ज है, जमाबंदी की नकलें शामिल है।

चक 20 एम.एल. (बी) के उपरोक्त खातों में वादीगण के अलावा प्रतिवादीगण तथा कुछ प्रतिवादीगण के पूर्वज जिनका देहांत हो चुका है के नाम से मुश्तरका खाता में खातेदारी दर्ज है, जैसा कि राजपाल का देहांत होने पर उसके वारिसान अनिका, कर्णवीर, अभिमन्यु का हिस्सा बनता है तथा सरजीत कौर के देहांत के बाद जसवीर सिंह, जसविन्द्र कौर, बलविन्द्र कौर का हिस्सा बनता है। इस प्रकार उपरोक्त तीनों खातों की भूमि वादीगण तथा प्रतिवादीगण की मुश्तरका खातों में दर्ज चली आ रही है।

भूमि मुश्तरका दर्ज होने से ना केवल वादीगण को सुधार कार्य में बाधा पैदा हो रही है बल्कि बारी पानी की पर्चीयों आदि में भी बिला वजह विवाद बना रहता है तथा मामला आदि अदा करने में भी विवाद रहता है, वादीगण अपने रकबा में सुधार कार्य करवाना चाहते है मगर रिकॉर्ड में मुश्तरका दर्ज रहने तथा कुछ प्रतिवादीगण इसका अनुचित लाभ उठाकर अच्छी भूमि को मुंतकिल करने की कोशिश में होने से वादीगण को परेशानी पैदा हो रही है। अतः वादीगण तीनों खातों की भूमि का किलावाईज विभाजन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में किलावाईज दर्ज करवाना चाहते है जिससे कि सुधार कार्य करवाया जा सकें तथा पर्ची पानी अलग बनवायी जा सकें।

अतः कब्जा के अनुसार विभाजन करवाना आवश्यक हो गया है अथवा अच्छी माडी के हिसाब से विभाजन करवाना जरूरी है जिसके लिए दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है।

लगातार .....

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

वादीगण ने प्रतिवादीगण से बार–बार आग्रह किया कि वह उपरोक्त तीनों खातों की भूमि का जिनमें वादीगण का नाम दर्ज है। किलावाईज विभाजन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के हिस्सा की भूमि किलावाईज दर्ज करवाये तथा अलग खाता कायम करवाया जावें जिससे कि मामला लगान अलग अलग कायम हो सकें मगर कुछ प्रतिवादीगण लालचवश होने से टालमटोल करते हुए दिनांक 04.09.2016 को कतई इंकारी है जो कि यही बिनाए मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है।

उपरोक्त अराजी श्रीमान् न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, अतः वाद वादीगण काबिल समाअत अदालतवाला है तथा तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के पेश किया जा रहा है।

प्रतिवादी संख्या 32 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है तथा विभाजन का अमलदरामद करवाने/प्रस्ताव मंगवाने के लिए भी आवश्यक पक्षकार है।

उपरोक्त तीनों खातों की भूमि में वादीगण का नाम होने से जैसे कि किसी खाते में किसी वादी का तथा किसी में दूसरे का होने से एक दावा लाना आवश्यक हो गया है जो कि मल्टीप्लीटी ऑफ शूट रोकने के लिए दावा हाजा लाना आवश्यक है।

लिहाजा दावा पेश करके अर्ज है कि वाद वादीगण, बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादिर किया जावे :–

(क) डिक्री घोषणा व विभाजन चक 20 एम.एल. (बी) तहसील श्री गंगानगर के खाता संख्या 18/17, मुरब्बा नम्बर 7, 10, 17, 21 की कुल 6.326 है तथा खाता संख्या 80/64, मुरब्बा नम्बर 21 की 1.493 हैक्टर तथा खाता संख्या 100/43, मुरब्बा नम्बर 21, 30 की 3.389 हैक्टर, तीनों खातों के विभाजन के सम्बंध में डिक्री सादिर करते हुए कब्जा के आधार पर अच्छी माडी के हिसाब से विभाजन करवाते हुए वादीगण के हिस्सा की भूमि किलावाईज अलग से एक खाता कायम करते हुए दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें, मामला लगान कायम किया जावें तथा कब्जा जो वर्तमान में रिकॉर्ड अनुसार मुश्तरका चला आ रहा है वह जिस काश्तकार के हिस्सा में जो अराजी आये उसका स्थापित करवाया जावें ।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो वह भी प्रदान किया जावें ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 बाद तलबी उपस्थित नहीं आनें पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 32 पैरोकार राज द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र में वादी एवम् प्रतिवादीगण के भूमि विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है अतः राज्य हित को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित किया जाना उचित है।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होनें के कारण तनकीयात बनना नहीं पाये जानें पर वादीगण की और से श्री हरबंसलाल पुत्र मेहरसिंह व सौरभ पुत्र सुरेन्द्र कुमार भांभू की और से साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये साक्ष्य शपथपत्र में वादपत्र में वर्णित बिन्दुओं को ही दोहराया गया।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन विवादित आराजी में वादीगण की खातेदारी भूमि होनें तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होनें के कारण तहसीलदार श्रीगंगानगर से

लगातार 4

विवादित आराजी का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया जाना न्यायोचित होनें से वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वादीगण की उनके हिस्सा एवम् कब्जा के अनुसार मय नक्शा में विभाजन के दौरान विभाजित होनें वाली भूमि में पंहुचनें हेतु रास्ते को दर्शाते हुए वर्तमान जमाबन्दी सहित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 को मध्यनजर रखते हुऐ तथा बैक ऋण के संबंध में विभाजन प्रस्ताव भिजवानें हेतु लिखा जानें पर प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा द्वारा अपनें पत्रांक भू.अ./2019/374 दिनांक 01.02.2019 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये

–:: आदेश ::–

तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के सन्दर्भ में वादीगण के अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति जाहीर नहीं करनें पर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वादीगण की खातेदारी भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी संख्या 2 सरजीत सिंह पुत्र मेहर सिंह जाति जाट निवासी 21 एम.एल. तहसील व जिला श्री गंगानगर हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
20 एम.एल. (बी)	21	2/.013, 16/.038, 17/.032, 18/.032, 19/.032, 20/.032, 21/.215, 22/.253, 23/.253, 24/.253, 25/.253,	1.406 हैक्टर

2. वादी संख्या 3 शांति देवी पत्नि हरबंसलाल जाति जाट निवासी 21 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की 1.303 हैक्टर तथा वादी संख्या 4 मीनाक्षी पत्नि सुरेन्द्र कुमार भांभू जाति जाट निवासी 21 एम.एल. तहसील व जिला श्री गंगानगर की 1.315 हैक्टर, वादी संख्या 5 सौरभ पुत्र सुरेन्द्र कुमार भांभू जाति जाट निवासी 21 एम.एल. तहसील व जिला श्री गंगानगर की 0.266 हैक्टर हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
20 एम.एल. (बी)	21	2/.077, 6/.253, 7/.253, 8/.253, 9/.253, 10/ 1 में 0.063, 11/.202, 12/.253, 13/.253, 14/1 में .139, 15/.253, 16/.215, 17/.221, 18/.221, 19/.221, 20/.196	3.326 हैक्टर

खाता संख्या 100 में शान्तिदेवी पत्नि हरबंसलाल का 0.005 हैक्टर तथा कलावती पत्नि राजेन्द्र कुमार का 0.005 हैक्टर रकबा तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावानुसार पूर्ववत् संयुक्त खाते में रहेगा।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 14-2-19 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)